Swargiya Chandra Singh Shahi Government Post Graduate College Kapkote (Bageshwar)

Institution implements e-governance in its operations

1. Administration
2. Finance and Accounts
3. Student Admission and Support
4. Examinations

Note: Institution's name has been indicated by the arrow

Administration including complaint management

MIS Portal

This higher education department Portal is used to manage service records of employees as well as student data.

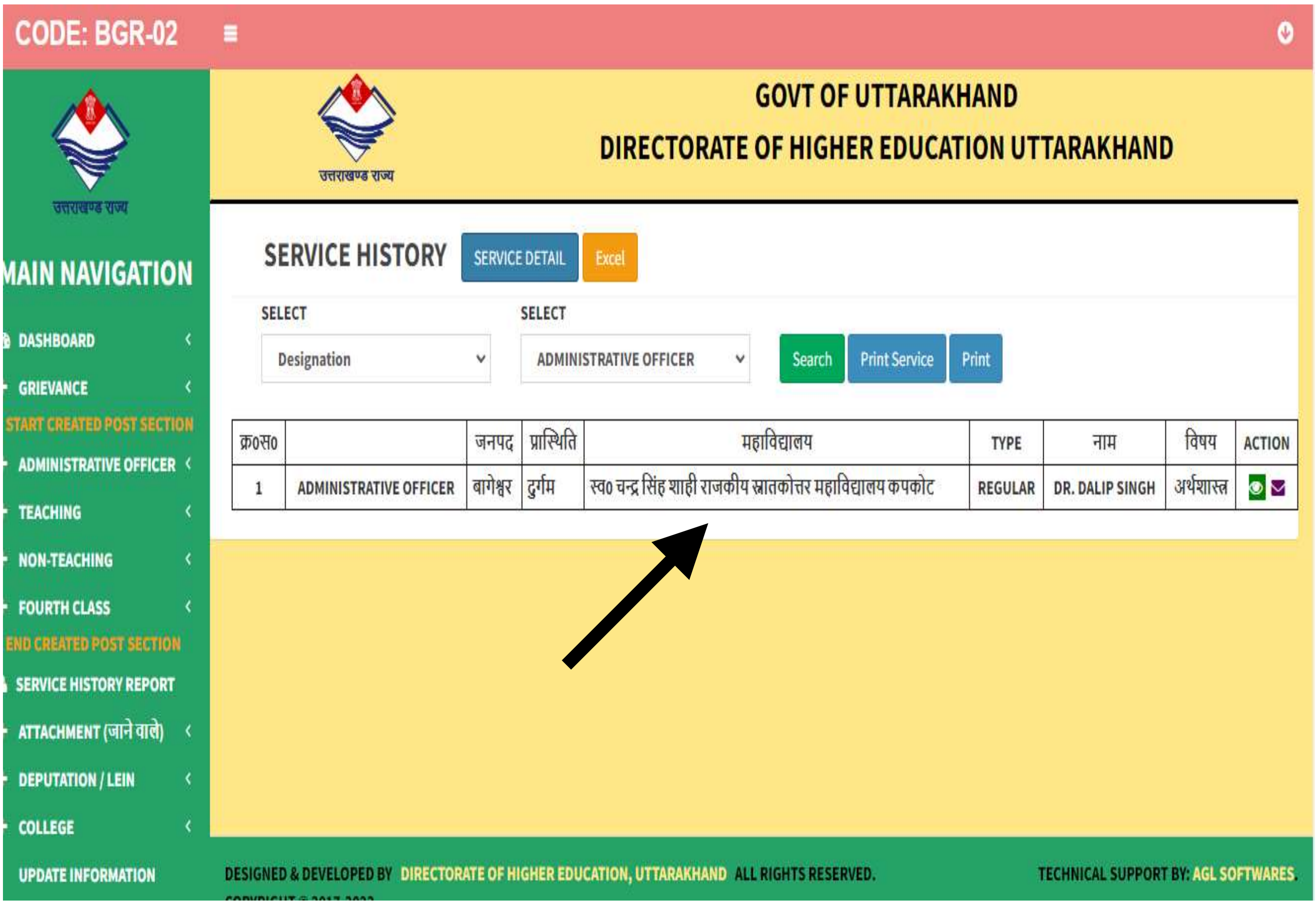

UK IFMS (e-KOSH)

This portal is available for all government employees. To work on IFMS software the user needs to have an active user id and password. User id, in IFMS software, is employee code/mobile number/Aadhar number of the employee. All service-related matters (viz, salary slip, PRAN generation, Leave application, NPS contribution, TA bill generation etc.) In the same portal Head of the Institution can handle all the service record of employee such as (leaves, Annual Confidential report, salary etc.)

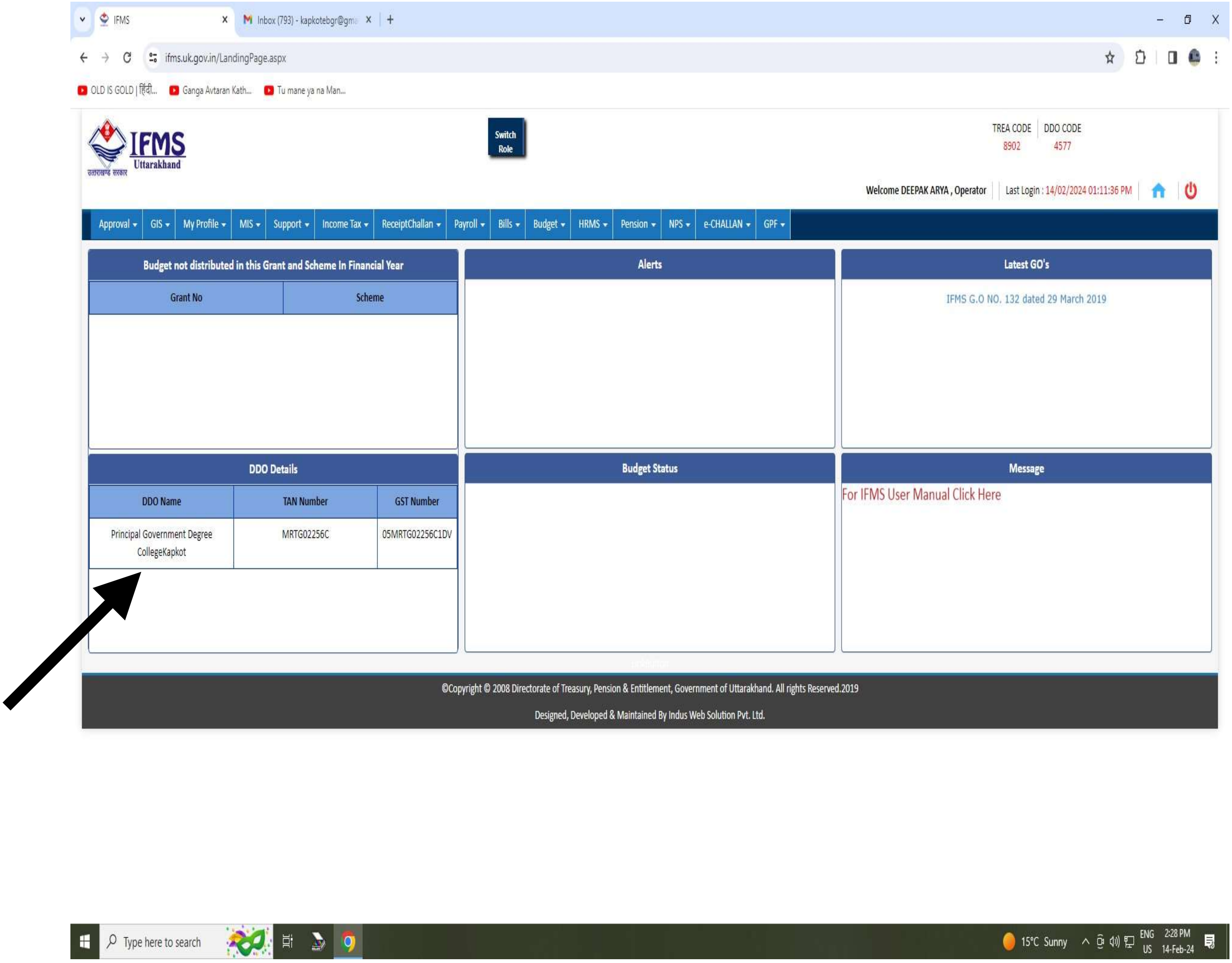

UK E-Samarth Portal

This portal provides information about all employees in the institute, CAS application, Project proposal. Since the session 2022-2023 admission and examination is also done by e-samarth portal. Leave Management has also begun from January 2024 and presently it is under process.

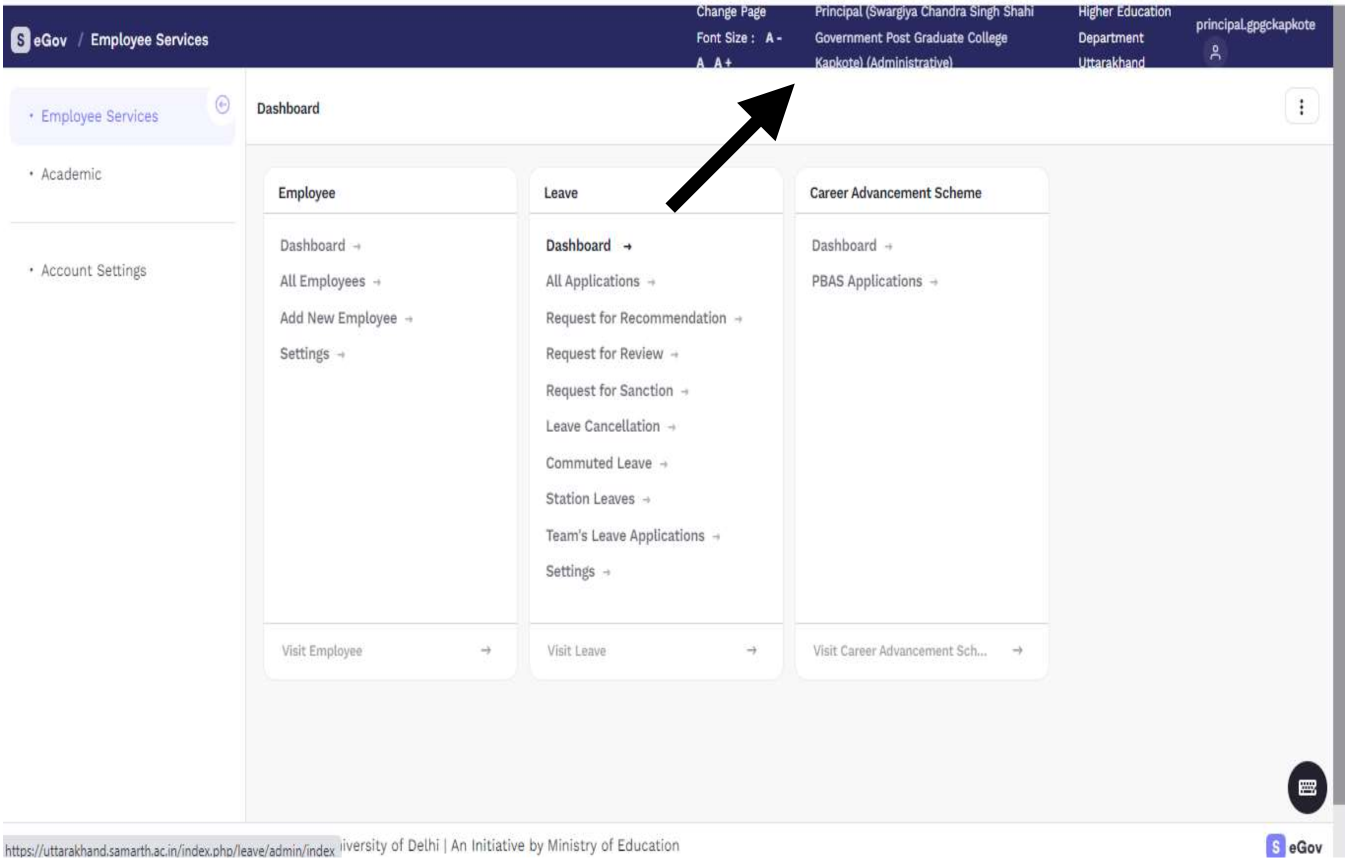

Affiliation Portal

The college applies for affiliation through University's affiliation Portal

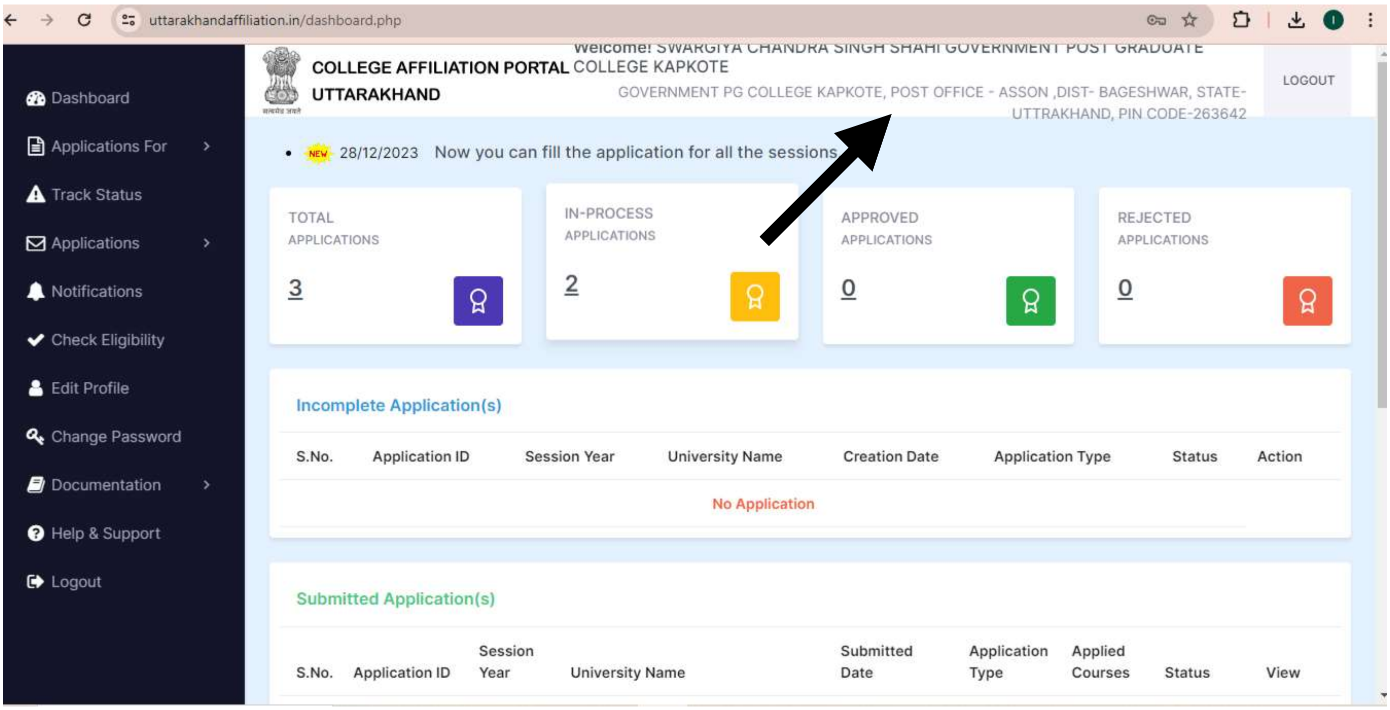

Finance and Accounts

IFMS

This portal is also used for finance related activities, i.e. budget allocation, salary generation of employees, utility bill generation and payment, e-challan, utility bill payment etc.

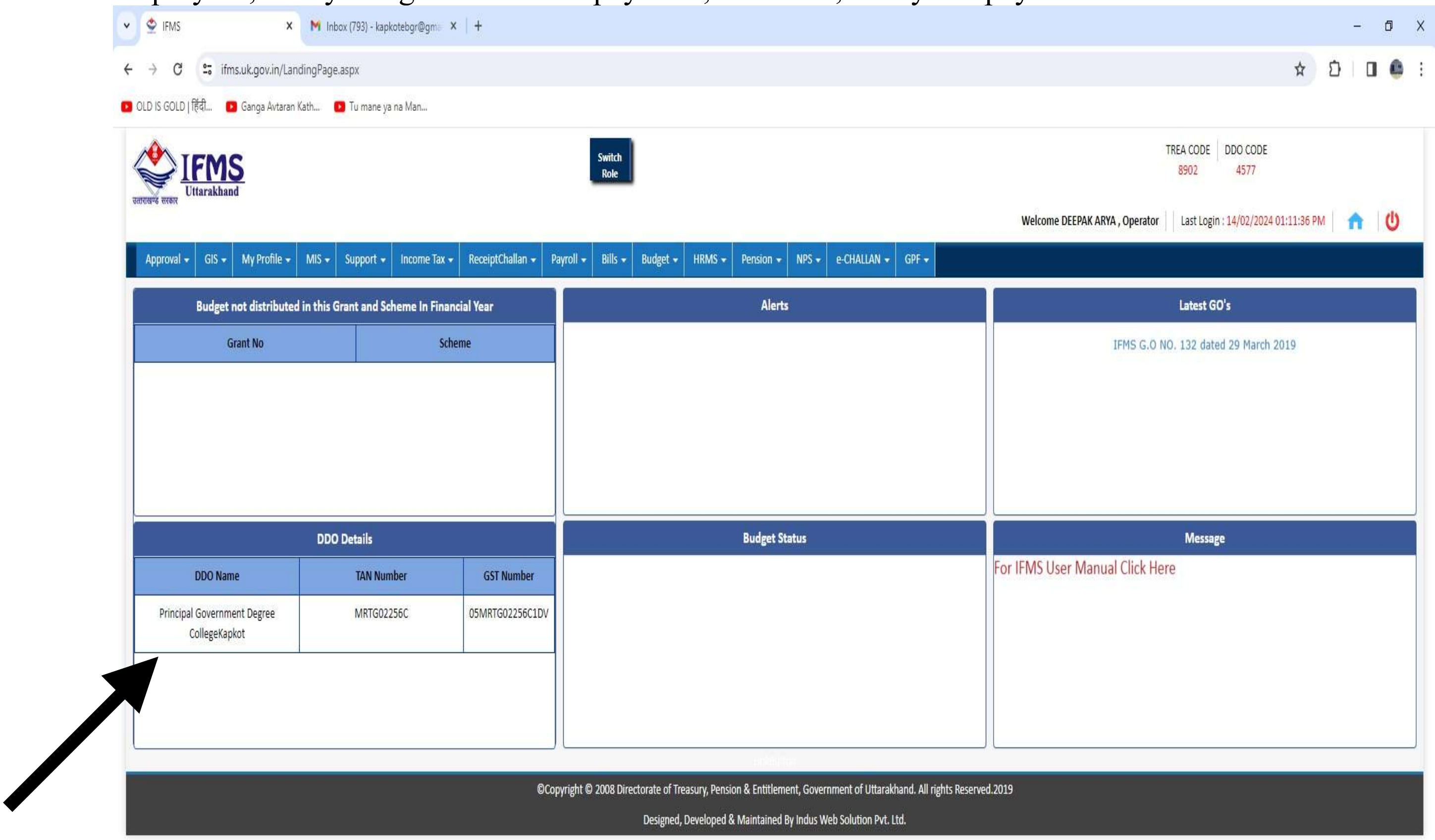

PFMS

College uses PFMS portal to make payment to vendors against purchasing of equipment for college, the same portal is also used to make payment to construction agency of college.

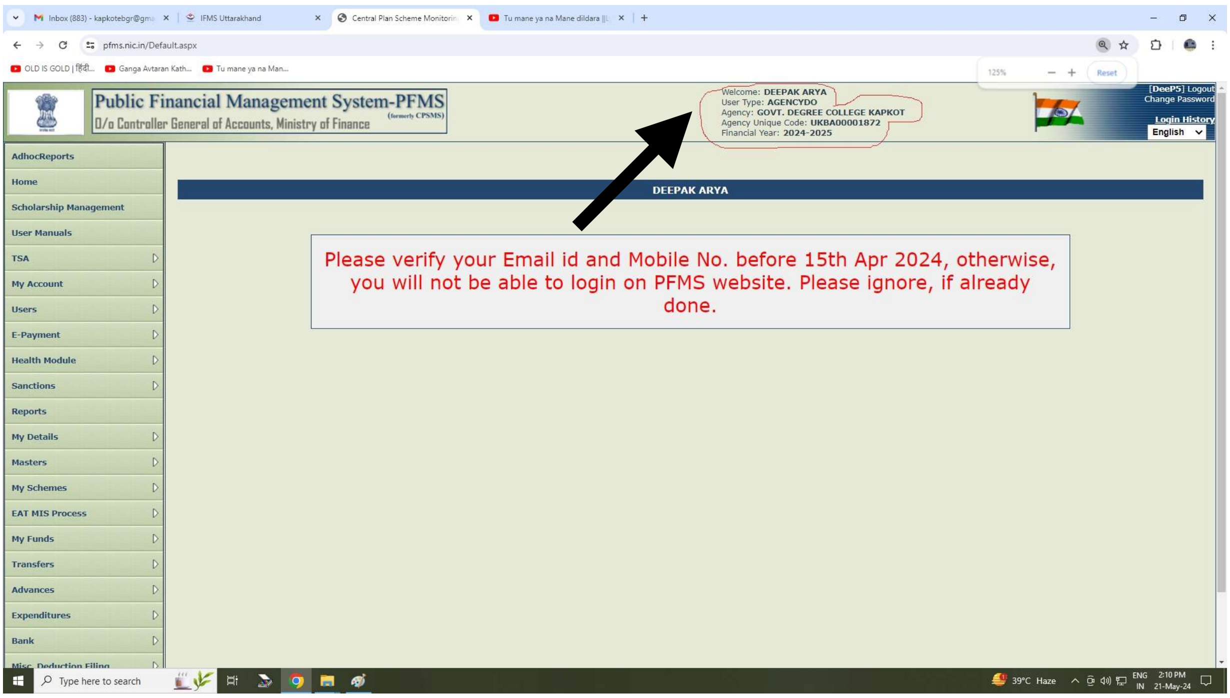

GEM Portal

For purchasing of new items, college uses GEM portal as per purchasing / procurement ruls of Uttarakhand government

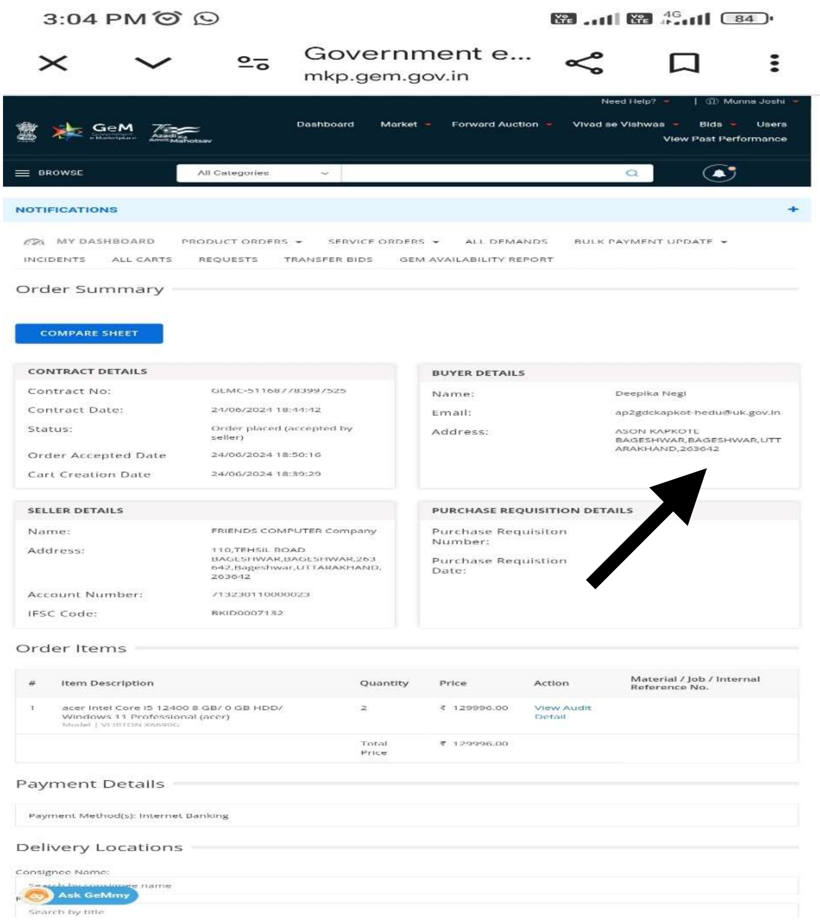

PM USHA

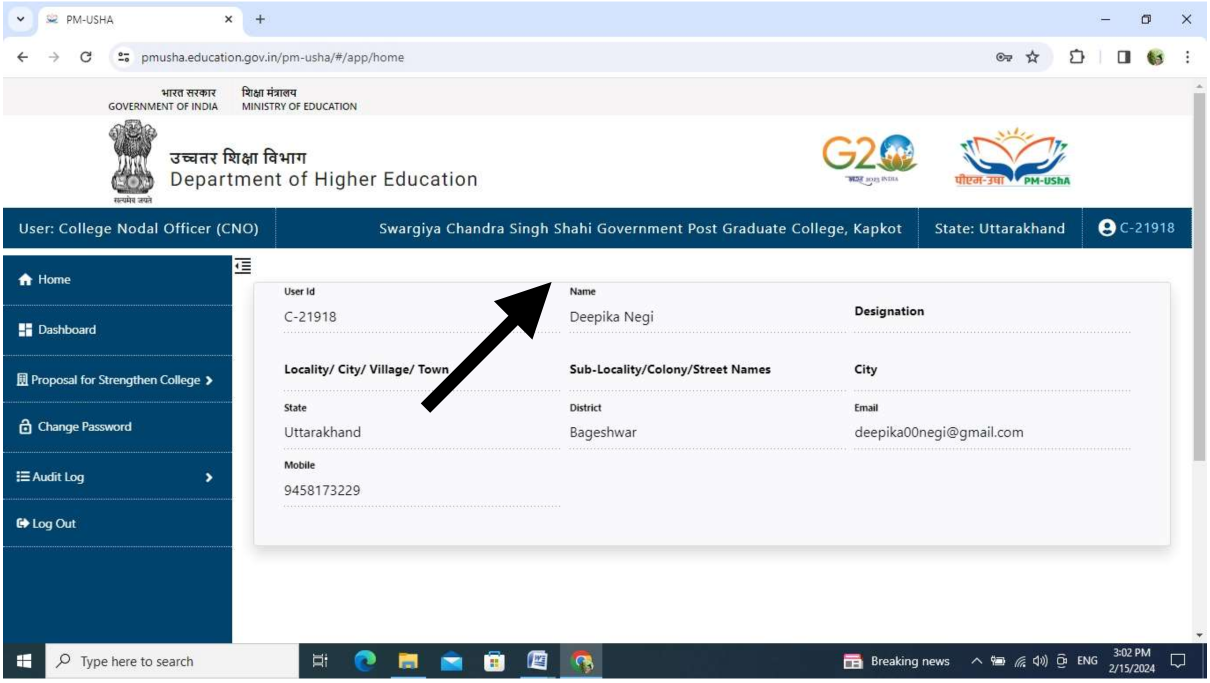

E-*Ankalan*

It is an Initiative of State Planning Commission, Government of Uttarakhand in co-operation with Finance Department, Government of Uttarakhand.

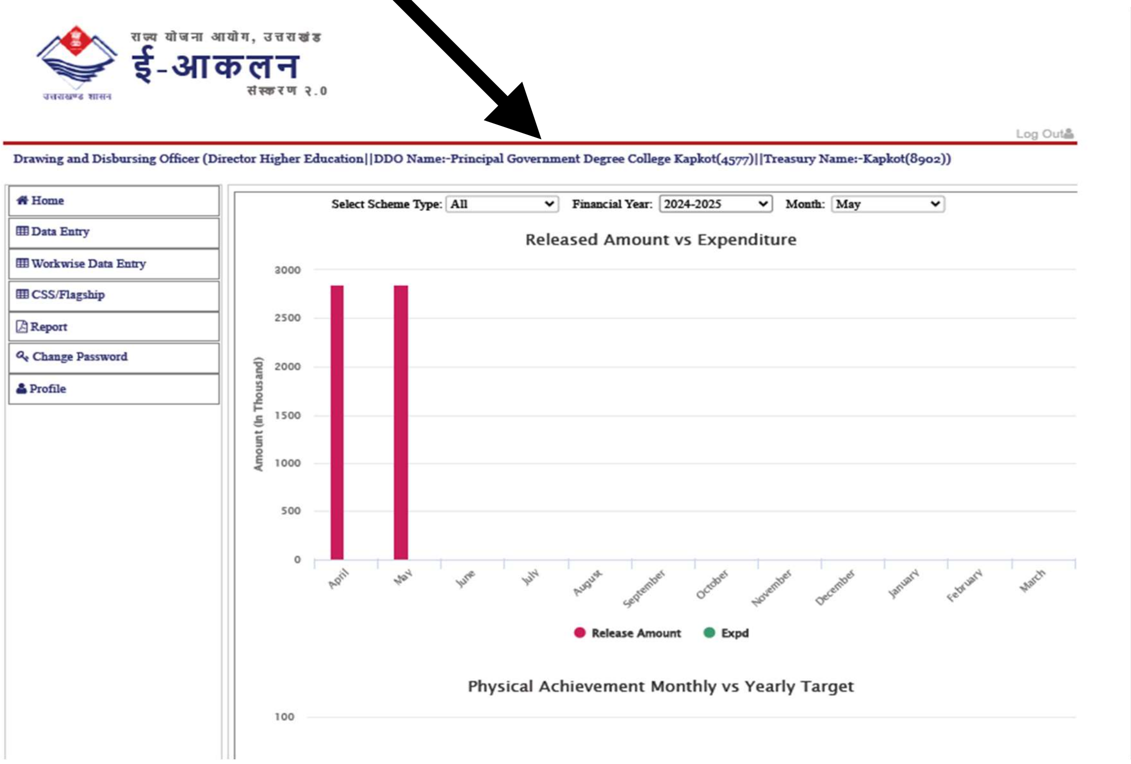

Student Admission and Support

Samarth Admission Portal

Since the session 2022-2023 the new applicants apply through Samarth Admission Portal, prior to that the university had different online portal.

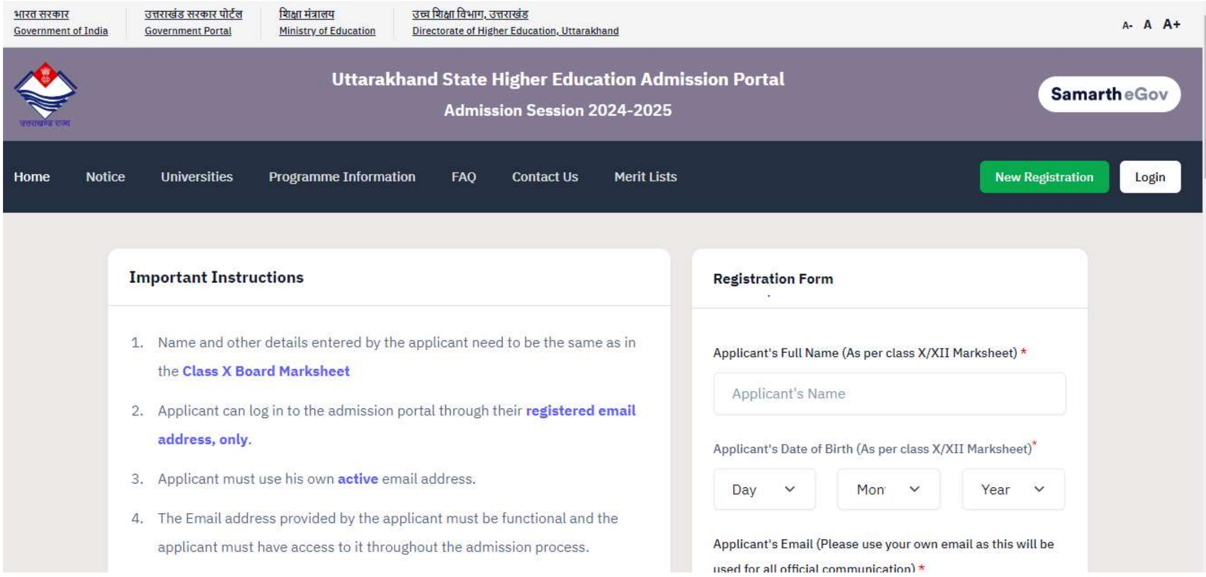

Admission Management through Samarth Portal from the session 2023-2024

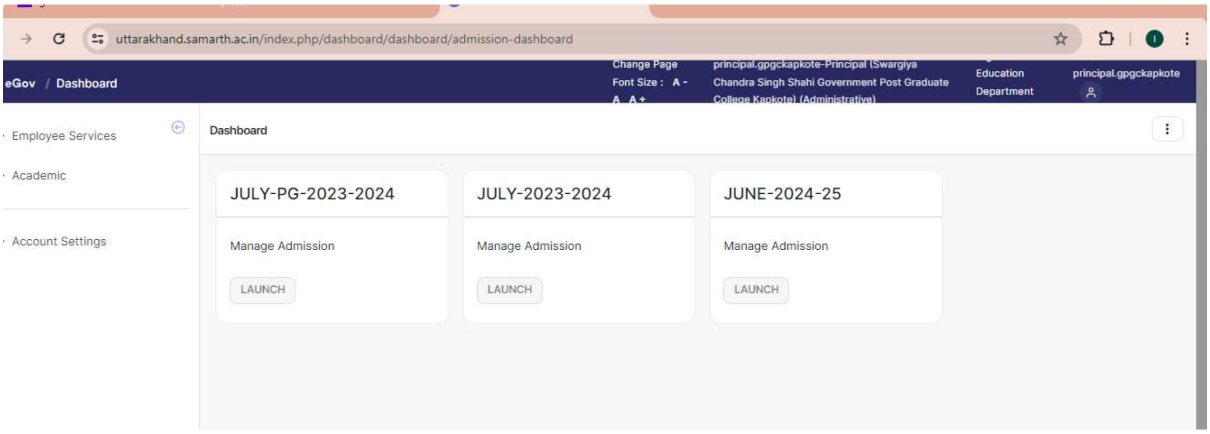

Admission Tab on the college website provides information about admission at a glance

NSP

College uses National Scholarship portal for the registration of scholarship, college nodal officer verifies the credentials of scholarship applicants of the college.

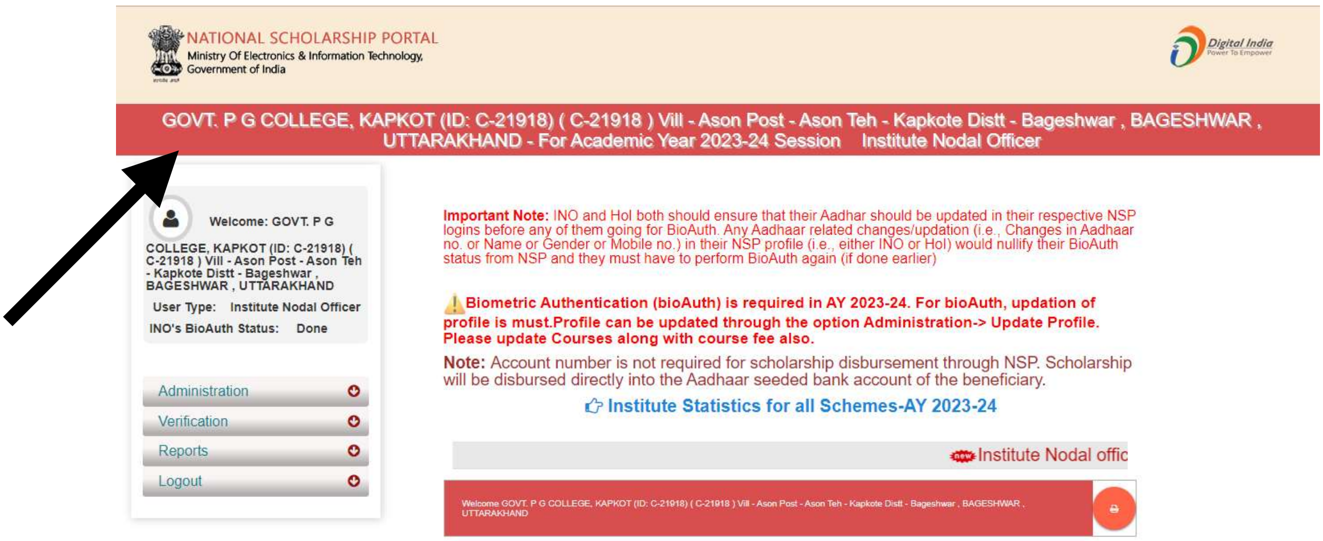

CM Scholarship

From the session 2023-2024, students can apply for CM scholarship

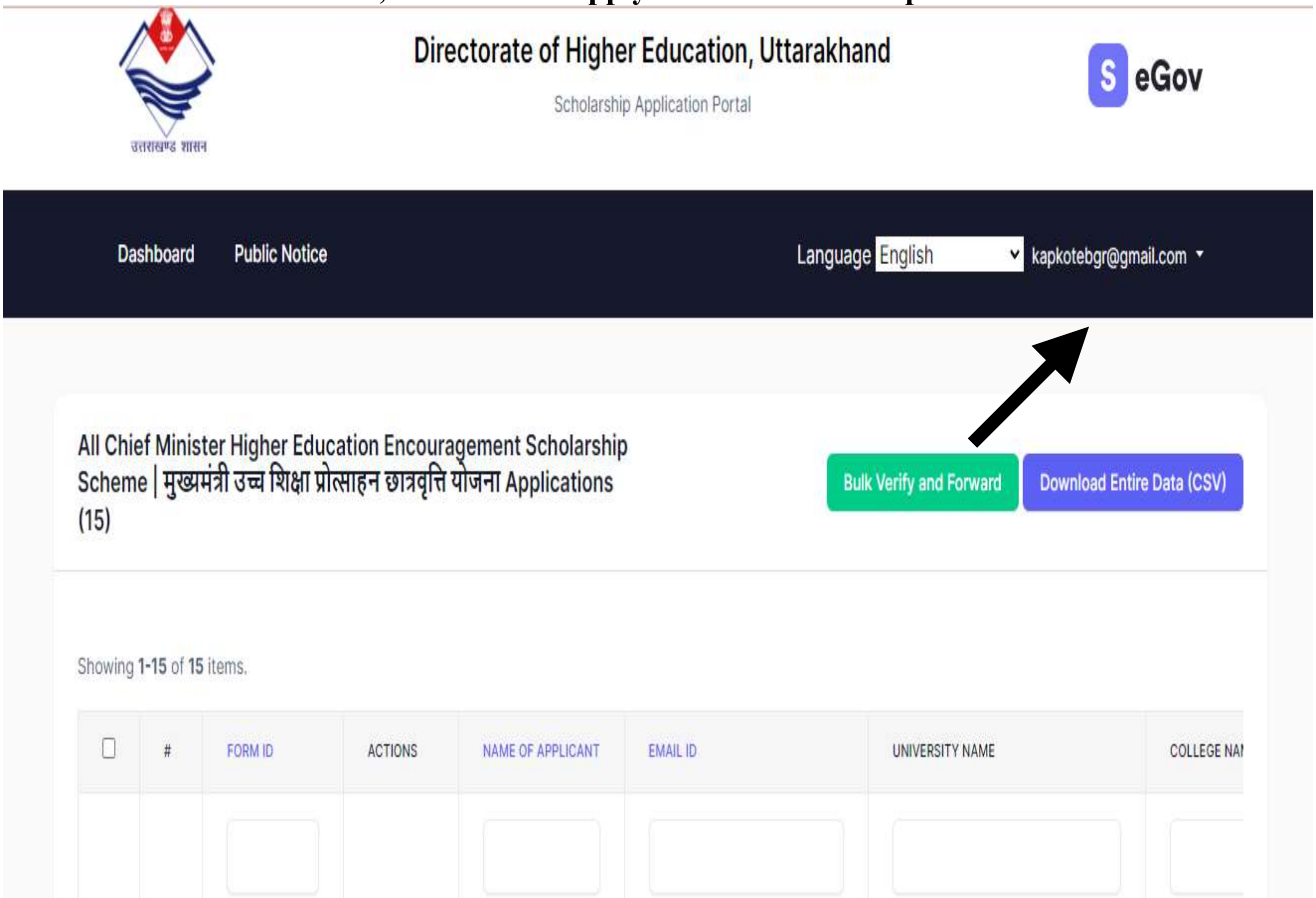

CM Helpline

For grievance one can record go to CM Helpline portal, after recording his/her grievance information comes to the institute login and within a week institute has to solve students grievance.

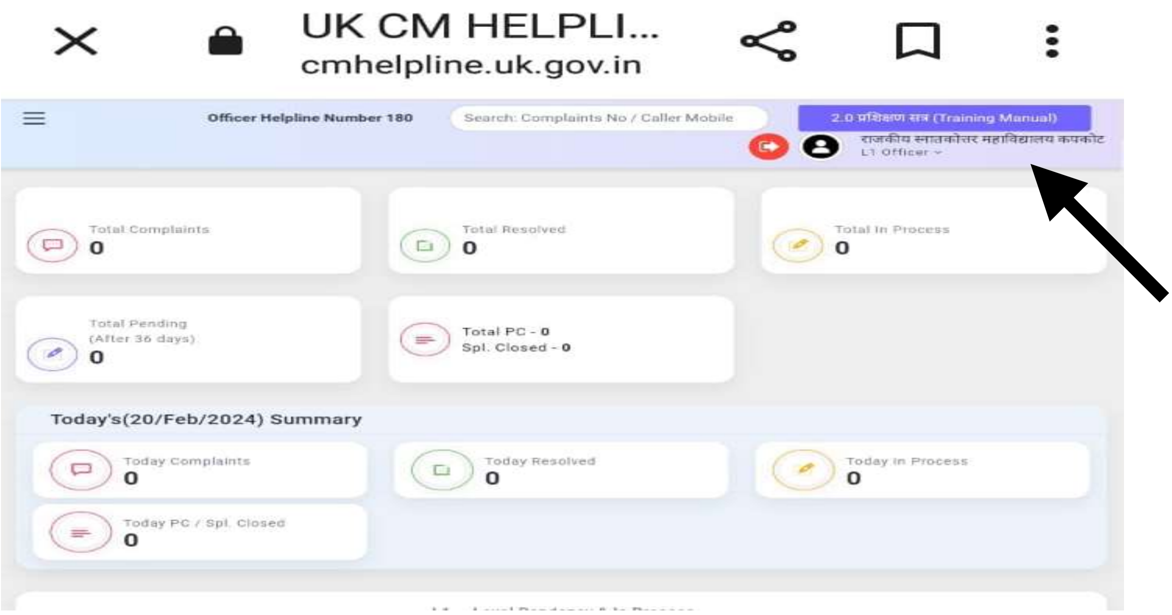

Student Support Tab on the website provides support committees in a glance

Home > Student Support > Grievance Forms

Grievance Forms

Grievance Form for students, teachers, alumni, parents and other stakeholders:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPDhBW_3uYunybXN56-mcxirDkBNBmpUma-Dz5aM4eOtA26g/viewform

SC/ST/OBC Grievance Form:

https://forms.gle/5TrQd46HFyYU76VZ7

Women Grievance Form:

https://forms.gle/yagEiVfKDsrYv7VbA

Feedback Forms

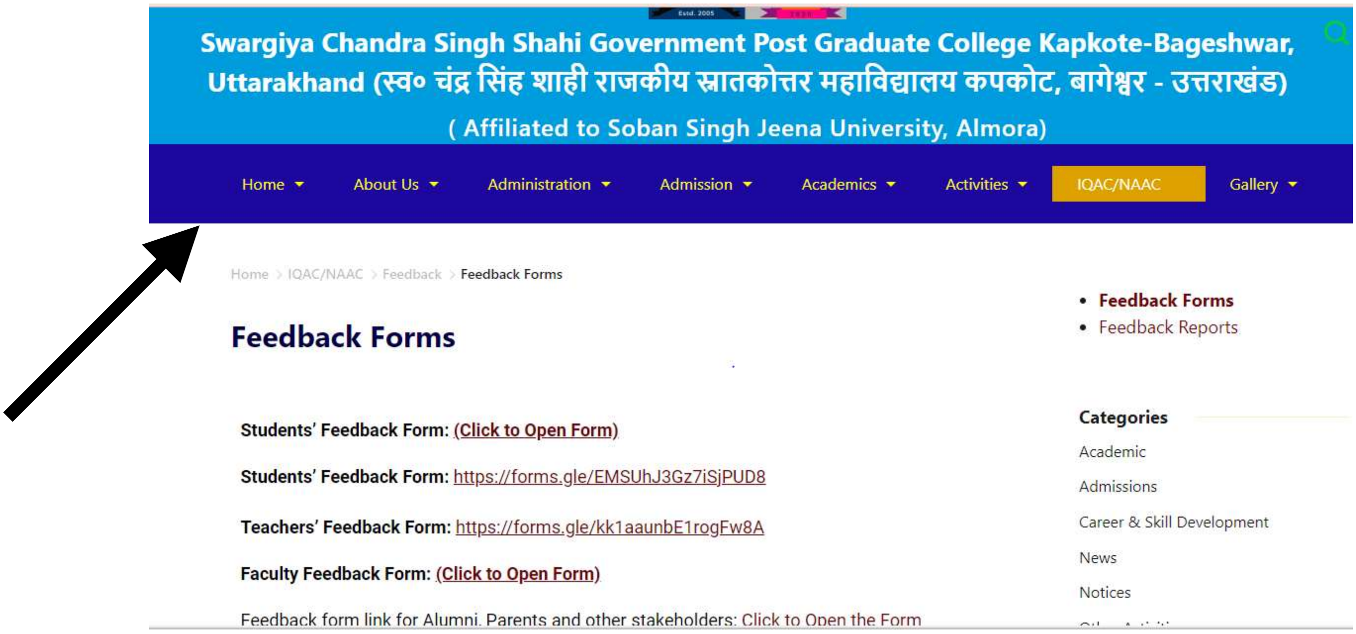

Swargiya Chandra Singh Shahi Government Post Graduate College Kapkote-Bageshwar, Uttarakhand (स्व० चंद्र सिंह शाही राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कपकोट, बागेश्वर - उत्तराखंड)

(Affiliated to Soban Singh Jeena University, Almora)

Home | About Us | Administration | Admission | Academics | Activities | IQAC/NAAC | Gallery

Home > IQAC/NAAC > Feedback > Feedback Forms

Feedback Forms

Students' Feedback Form: (Click to Open Form)

Students' Feedback Form: https://forms.gle/EMSUhJ3Gz7iSjPUD8

Teachers' Feedback Form: https://forms.gle/kk1aaunbE1rogFw8A

Faculty Feedback Form: (Click to Open Form)

Feedback form link for Alumni, Parents and other stakeholders: Click to Open the Form

- **Feedback Forms**
- Feedback Reports

Categories

Academic

Admissions

Career & Skill Development

News

Notices

E-*Granthalaya*

e-Granthalaya is a Digital Platform developed by National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India for Government Libraries for Automation of In-house activities as well as member services and Networking for resource sharing.

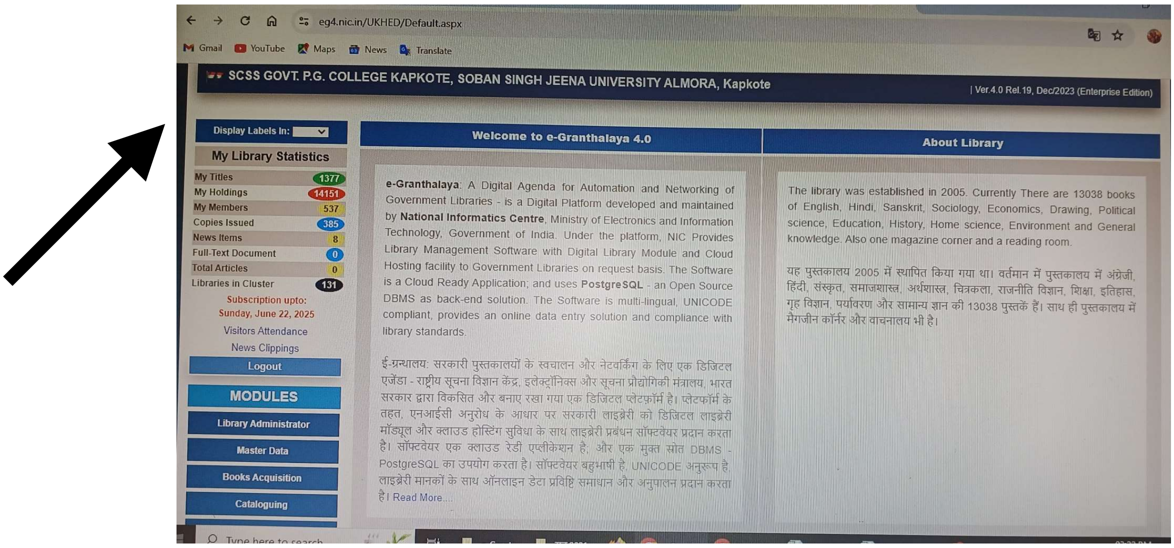

Examination

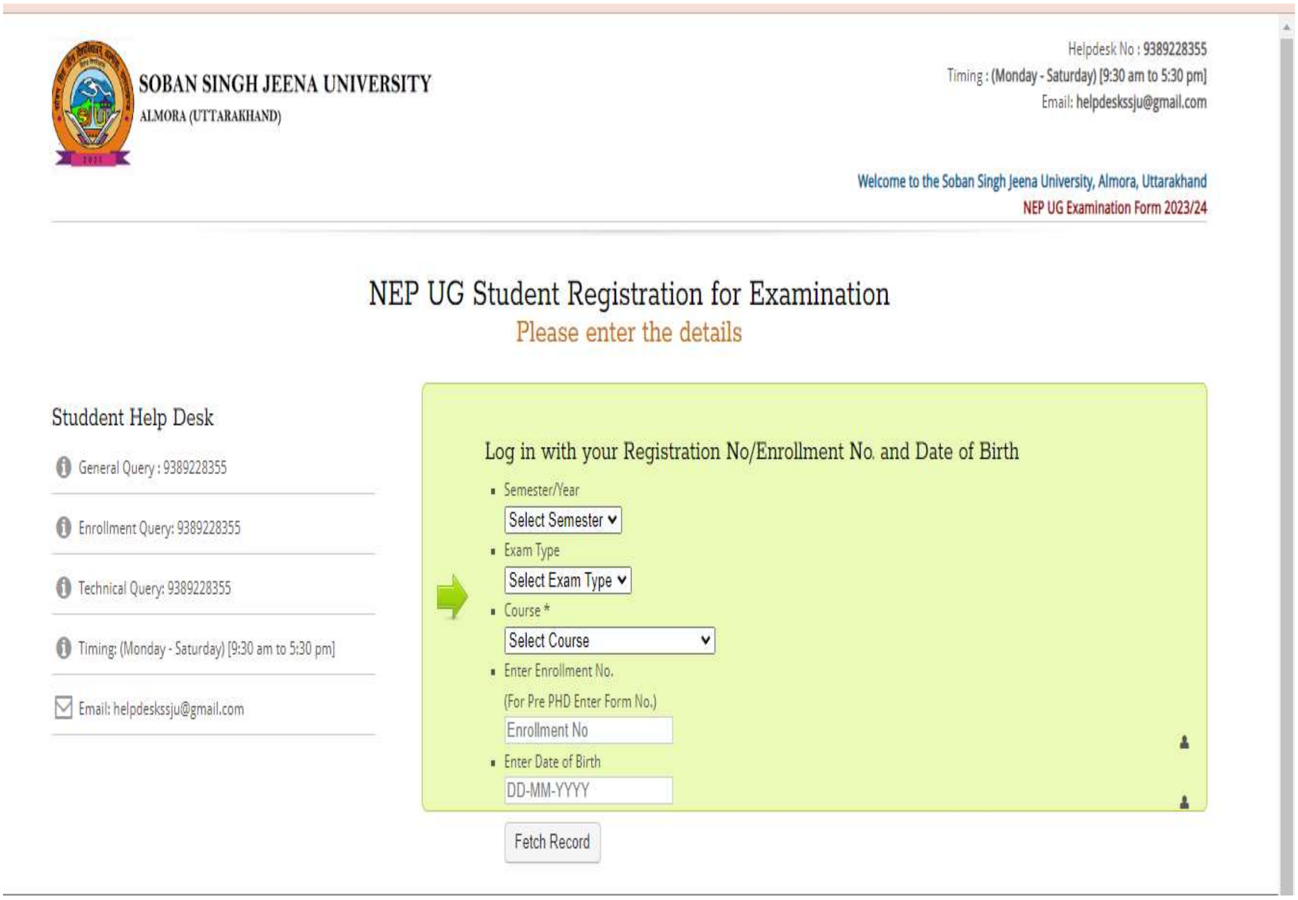

Login for uploading internal marks

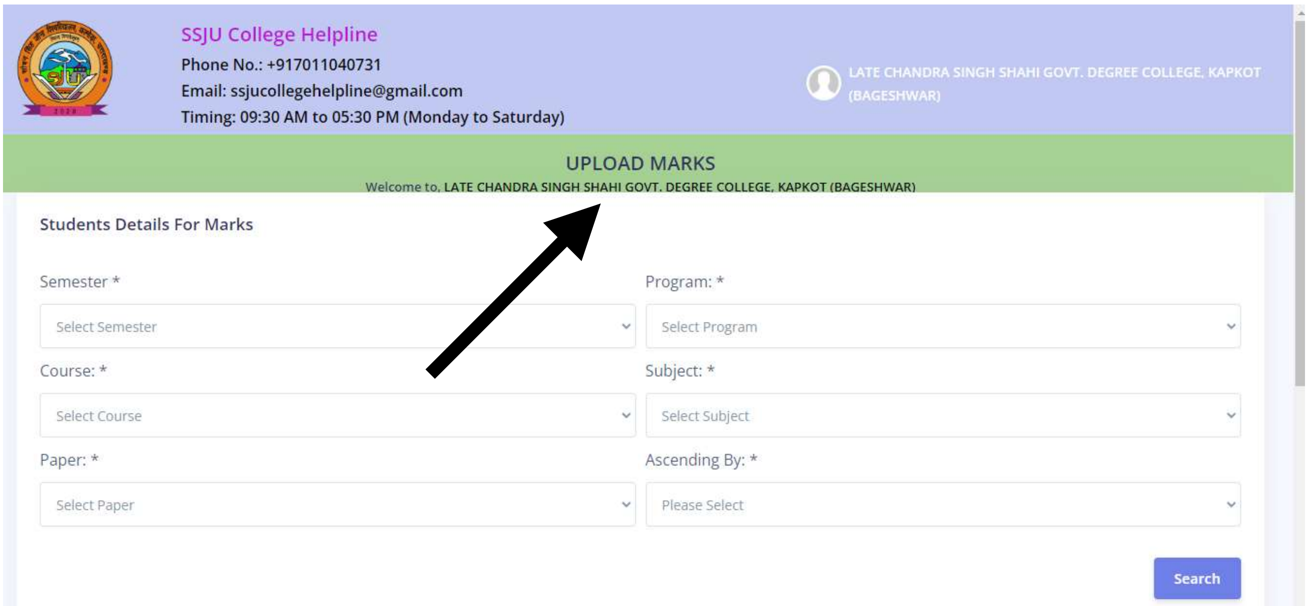

E-Samarth Examination Data from the session 2023-2024

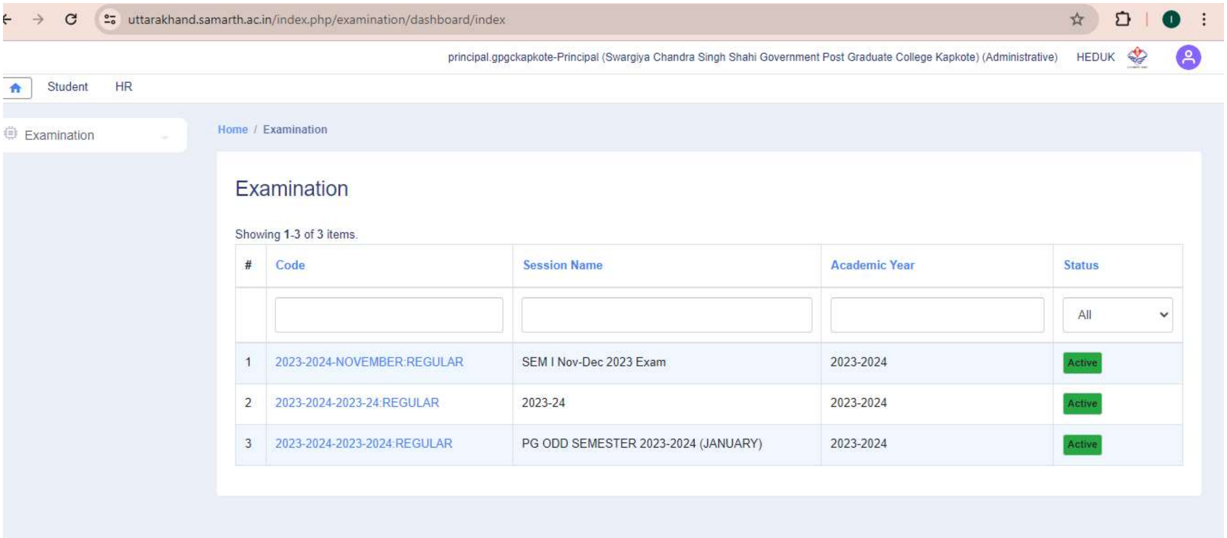

#	Code	Session Name	Academic Year	Status
				All
1	2023-2024-NOVEMBER:REGULAR	SEM I Nov-Dec 2023 Exam	2023-2024	Active
2	2023-2024-2023-24:REGULAR	2023-24	2023-2024	Active
3	2023-2024-2023-2024:REGULAR	PG ODD SEMESTER 2023-2024 (JANUARY)	2023-2024	Active

प्राचार्य
स्व0 चन्द्र सिंह शाही
रा0स्ना0 महाविद्यालय, कपकोट
जनपद- बागेश्वर, पिन-263642

संख्या——— /XXIV(7)/2018-69(2)/16

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

शिक्षा अनुभाग-7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 20 जून, 2018

विषयः-रूसा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में नई सुविधाओं के कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक केन्द्र पोषित परियोजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) में राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों हेतु स्वीकृत धनराशि को निर्माण, पुर्ननिर्माण एवं नई सुविधा के कार्यों हेतु क्रमशः 35%, 35% तथा 30% के आधार पर व्यय किये जाने का प्राविधान है। शासन के संज्ञान में आया है कि नई सुविधाओं के कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अनुपयोगी सामग्री का क्रय किया गया है, महाविद्यालयों में उक्त सामग्री के रख रखाव हेतु समुचित व्यवस्था न होने से खराब भी हो रही है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूसा के अन्तर्गत नई सुविधाओं के कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायः-

1- नई सुविधाओं के अन्तर्गत स्वीकृत/अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सर्वप्रथम महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में ई-लाईब्रेरी की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी तथा इस हेतु यथाआवश्यक सामग्री का क्रय भी वरीयता के आधार पर किया जायेगा। क्रय से पूर्व प्रत्येक सामग्री की विशिष्टियाँ तथा आपूर्ति शर्तें निर्धारित करके इनका अनुमोदन परियोजना निदेशक से प्राप्त कर लिया जाएगा।

2- नई सुविधाओं के कार्यों हेतु सभी क्रय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पादित किये जाएंगे ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके।

3- नई सुविधाओं के अन्तर्गत समस्त क्रय महाविद्यालय तथा छात्र/छात्राओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ही किये जायं। क्रय की जा रही वस्तु/सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार, मात्रा आदि पर विशेष ध्यान रखा जाय। अनावश्यक रूप से तथा निम्नस्तर की वस्तु/सामग्री का क्रय कर भण्डारण न किया जाय।

4- नई सुविधाओं के कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। नियमानुसार तकनीकी विशिष्टियाओं का निर्धारण करने के उपरान्त गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग कर सामग्री का क्रय किया जा सकता है। GeM पोर्टल पर सामग्री क्रय की जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी।

क्रमशः..................2/-

5– क्रय की जा रही सामग्री के उचित भण्डारण की समुचित व्यवस्था होने पर ही क्रय किया जाय अन्यथा नहीं।

6– सामग्री का क्रय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर सम्यक रूप से गठित तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुति पर किया जाय। सामग्री का क्रय किये जाने हेतु समिति के समस्त सदस्यों की ओर से संयुक्त रूप से इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि "महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तथा छात्र/छात्राओं की आवश्यकता के दृष्टिगत गुण–दोष के आधार पर क्रय की संस्तुति की जाती है। सामग्री का क्रय बाजार में उपलब्ध न्यूनतम दरों पर किया जा रहा है, क्रय की जा रही वस्तु/सामग्री न्यूनस्तर की नहीं है।"

7– नई सुविधाओं हेतु उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 352 (1)/XXIV(7)/2018–59(2)/15 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. नोडल अधिकारी, रूसा परियोजना निदेशालय, देहरादून।
2. सम्बन्धित कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
3. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या: 1000/XXX–3–21–19(15)2016

प्रेषक,

डॉ. एस. एस. सन्धु,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक 17 नवम्बर, 2021

विषय: उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल पर ऑन लाइन अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन वर्ष 2021–22 से ऑन लाइन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल के अन्तर्गत प्रारूप एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, ताकि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जा सकें। वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का प्रारूप **(Hard copy)** संज्ञानार्थ संलग्न है।

2. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को पूर्ण करने हेतु वार्षिक समय सारिणी (Annual Calender) निम्नवत् होगी :–

प्रशासकीय/कार्मिक विभाग द्वारा ऑन लाइन मूलभूत सूचनाएं/Work Flow निर्गत किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	समीक्षक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित अधिकारी को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि संसूचित किये जाने की अंतिम तिथि।
31 मई	30 जून	31 जुलाई	31 अगस्त	30 सितम्बर	15 अक्टूबर

उपरोक्त समय सारणी के अनुसार यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या निर्धारित समयावधि में अंकित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि पोर्टल द्वारा स्वतः ही प्रतिवेदक अधिकारी को और तद्नुसार ही समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी को भी निर्धारित समय सारणी के उपरान्त स्वतः ही पोर्टल द्वारा अग्रसारित हो जायेगी। अतः प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के उपरोक्तानुसार संचरण की पोर्टल जनित सूचना SMS/E-mail के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्राप्त होगी। यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियत तिथि के अन्दर स्वमूल्यांकन आख्या अंकित नहीं की जाती है तो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा इसका उल्लेख अपने मन्तव्य में किया जाएगा और ऐतद्विषयक टिप्पणी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित की जाएगी। इसी प्रकार, यदि प्रतिवेदक/ समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी समय से प्रविष्टि अंकन सम्बन्धी अपने दायित्व निर्वहन में विफल रहते हैं तो, ऐतद्विषयक टिप्पणी भी सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी/अधिष्ठान द्वारा सम्बन्धित प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी, यथालागू, की सेवा पुस्तिका/व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित की जाएगी।

3. वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन की सामान्य प्रचालन प्रकिया (SOP) निम्नवत् होगी:–

(1) वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन/मंतव्य हेतु संबंधित अधिकारी **https://cts.uk.gov.in** (**IFMS-Uttarakhand**) पर अपने कर्मचारी कोड (**Employee Code**) के द्वारा लॉग–इन कर सकते हैं।

(2) सम्बन्धित अधिकारी उक्त पोर्टल के अंतर्गत डाटा एन्ट्री> ए.सी.आर.> सेल्फ डिक्लेरेशन से अपना स्वमूल्यांकन अंकित कर सकते हैं।

(3) संबंधित अधिकारी को अपनी स्वमूल्यांकन आख्या अंकित करने से पूर्व 31 मार्च को समाप्त/पूर्ण हुए वित्तीय वर्ष तक की स्थिति के अनुसार अपना अचल सम्पत्ति विवरण (आई.पी.आर.) अपलोड करना अनिवार्य है। सम्बन्धित अधिकारी डाटा एन्ट्री> ए.सी.आर.> आई.पी.आर में जा कर अपना अचल सम्पत्ति विवरण अपलोड कर सकते हैं।

(4) प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी उक्त पोर्टल पर अपने कर्मचारी कोड (Employee Code) द्वारा लॉग–इन कर, डाटा एन्ट्री ए.सी.आर.> ए.सी.आर. अप्रूवल से अपने अधीनस्थ अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि/अपना मन्तव्य अंकित कर सकते हैं।

4. उपरोक्तानुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन की प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को सम्बन्धित अधिकारी को संसूचित किये जाने और ऐतद्विषयक प्रत्यावेदनों, यदि कोई प्राप्त हों, का निस्तारण "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 के अनुसार किया जायेगा।

5. अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों को उक्त नवीन व्यवस्था/पोर्टल से अवगत कराते हुए वर्ष 2021–22 से उक्त निर्धारित समय सारणी के अनुसार आई.एफ.एम.एस. (I.F.M.S) पोर्टल में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने तथा तद्नुसार ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को ससमय पूर्ण कराने के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त.

भवदीय,

(डॉ. एस. एस. सन्धु)
मुख्य सचिव।

संख्या : 1ccc/XXX–3–21–19(15)/2016 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त सदस्य प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा), उत्तराखण्ड।
6. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड राज्य

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

नवाड़खेड़ा, गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल) ☎ 05946–240666, 240777
E-Mail: hedegreeplan@gmail.com

पत्रांकः डिग्री प्लान/ 6180 /2022–23, दिनांकः 15 दिसम्बर, 2022

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तराखण्ड।

विषयः– समर्थ पोर्टल पर कार्मिकों की सूचनाऐं ऑनलाईन सत्यापन करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 46/समर्थ पोर्टल/2022–23 दिनांक 14.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। जिसके द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों की समर्थ पोर्टल पर सूचनाऐं ऑन लाईन सत्यापित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया हैं।

तदक्रम में आप अपने–अपने महाविद्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना समर्थ पोर्टल पर अंकित करने के पश्चात सत्यापित कर प्रमाणिक सूचना पत्र के माध्यम से **digi.heuk@gmail.com** पर दिनांक 19.12.2022 समय 1:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय

(डा0 आर0 एस0 भाकुनी)
उपनिदेशक
कृते निदेशक उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी।

पृ0सं0/ /2022–23 देहरादून, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– नोडल अधिकारी, डिजिटल पहल योजना (सम्बद्ध– सचिव, उच्च शिक्षा कार्याल, उत्तराखण्ड शासन देहरादून) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 आर0 एस0 भाकुनी)
उपनिदेशक
कृते निदेशक उच्च शिक्षा
उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी।

Scanned with CamScanner

ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
राजकीय स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः डिग्री–सेवा I / 8353 / 2022–23 दिनांकः 17 मार्च, 2023

विषयः कैरियर एडवान्समैन्ट योजनान्तर्गत वरिष्ठ / चयन / एसोसिएट / प्रोफेसर पदनाम / वेतनमान प्रदान किये जाने हेतु अर्ह शिक्षकों द्वारा समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन पत्र उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या डिग्री–सेवा I / 7711 / 2022–23 दिनांक 21 फरवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से कैरियर एडवान्सगैन्ट योजनान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अर्ह शिक्षकों को वरिष्ठ / चयन / एसोसिएट / प्रोफेसर पदनाम / वेतनमान प्रदान किये जाने के लिए वर्तमान सत्र से समर्थ पोर्टल के माध्यम से यू0जी0सी0 विनियम 2018 के अनुसार ऑन लाईन आवेदन प्राचार्य की संस्तुति सहित दिनांक 20 मार्च 2023 तक निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

ऑन लाईन आवेदन की व्यवहारिक समस्याओं एवं कतिपय महाविद्यालयों से तिथि विस्तारण के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त ऑन लाईन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 31 मार्च 2023 तक विस्तारित की जाती है।

भवदीय,

(डॉ0 सी0डी0 सूँठा)
प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उच्च शिक्षा निदेशालय,उत्तराखण्ड

क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय परिसर, फैकल्टी लॉज, देहरादून– 248001

संयुक्त निदेशक

E-Mail - jdhedehradun@gmail.com

पत्रांकः 1235/आईएफएमएस/2023–24

दिनांकः 22 नवम्बर, 2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य
स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्तराखण्ड।

विषयः एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत मानव संशाधन प्रबन्धन (HRMS) मॉड्यूल में कार्मिकों के पदो के विवरण को अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 96113/2023 दिनांक 03 फरवरी, 2023 के कम में उत्तराखण्ड बजट मैनुअल–2012 के प्रस्तर–68 के अनुसार विभिन्न विभागों में राज्य कर्मचारियों के वेतनमानवार पदों से सम्बन्धित विवरण को एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) के अन्तर्गत मानव संशाधन प्रबन्धन प्रणाली (HRMS) मॉड्यूल में अपडेट किये जाने के कम में, विवरण/सूचना महाविद्यावार अपडेट की जानी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आई.एफ.एम.एस. पोर्टल के अन्तर्गत HRMS मॉड्यूल में शासनादेशानुसार कार्मिकों के पदों के विवरण को अपडेट किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। विवरण निम्नानुसार भरा जायेगा–

1. Filling the details as per Government order.
2. Mapping
3. Approve from HOD level.
4. Verification from Data Centre.
5. Uploading the filled details in Employee master.
6. Payment

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत बजट खण्ड–6 में उल्लिखित पदों से सम्बन्धित शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय स्तर से मानव संशाधन प्रबन्धन प्रणाली (HRMS) मॉड्यूल में अपडेट की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें। आई.एफ.एम.एस. से सम्बन्धित अधिक जानकारी हेतु वित्तीय डेटा केन्द्र में श्री मुकेश रावत, मो0नं0–8126754526 तथा 8899890000 पर सम्पर्क करें। उक्त कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही माह नवम्बर, 2023 का वेतन आहरित किया जायेगा।

भवदीय

22.11.2023
(डॉ0 ए0एस0 उनियाल)
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल)।

22.11.2023
(डॉ0 ए0एस0 उनियाल)
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

प्राचार्य
स्व0 चन्द्र सिंह शाही
रा0स्ना0 महाविद्यालय, कपकोट
जनपद- बागेश्वर, पिन-263642